UPAU010008382026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।

दण्ड प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 71/2026

रामऔतार प्रति करन सिंह आदि।

दिनांक 08.04.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थी रामऔतार द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विगत तिथि पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

2. प्रार्थी रामऔतार ने संक्षेप में अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि प्रार्थी रामऔतार पुत्र बनवारीलाल, निवासी ग्राम रायपुर, मौजा रावतपुर, थाना बिधूना, जिला औरैया का निवासी है एवं अनुसूचित जाति चमार है। प्रार्थी दि०-20.02.2026 को समय करीब 9:30 बजे सुबह अपने खेतों पर सिंचाई कर रहा था, तभी गांव के विपक्षी करन सिंह पुत्र जयलाल व मिन्टू पुत्र करन सिंह का खेत प्रार्थी के खेत बगल में है। प्रार्थी के खेत में नीम का पौधा था, जिसकी उम्र करीब 03 वर्ष थी, जिसे विपक्षीगणों ने बिना किसी विभाग की परमीशन के कुल्हाड़ी से काट दिया। प्रार्थी ने जब उसी समय देखा मना किया तो विपक्षीगण जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी लेकर मारने को दौड़ पड़े और जाति सूचक गालियों देने लगे कि साले चमरे खेत में पौधा लगायेगा, जिससे मेरी फसल नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी को उपरोक्त विपक्षीगणों ने धमकी दी कि साले चमरा मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से मार देगें। धमकी देता है कि मेरी बहुत ही ऊँची पहुंच है, मै राज्य सभा सांसद के बहुत ही करीबी हूँ तुम कही भी शिकायत कर लो तुम मेरा कुछ नहीं विगाड़ पाओगो। एक ही फोन पर जिले के सारे अधिकारी काम करते है। प्रार्थी रिपोर्ट लिखाने थाने गया कोई सुनवाई नहीं हुयी, तब प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

3. आवेदक श्री रामऔतार पुत्र बनवारीलाल निवासी ग्राम रायपुर थाना बिधूना जिला औरैया द्वारा दिये गये प्रा०पत्र की जांच मुझ उ०नि० द्वारा मौके पर जाकर की गयी तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि आवेदक व विपक्षीगण का खेत एक ही मेंड़ से लगा हुआ एक तरफ आवेदक का खेत है तो मेंड की दूसरी तरफ विपक्षीगण का खेत है, खेत की मेंड पर एक छोटा नीम का पौधा निकल आया था जिसे आवेदक के कथनानुसार उसके द्वारा लगाया जाना तथा विपक्षी एवं गांव के लोगो के कथनानुसार स्वंय उगना बताया गया है, उक्त पौधे को आवेदक ने विपक्षीगण पर काटने का आरोप लगाता है तथा विपक्षीगण आवेदक पर काटने का आरोप लगाते है दोनो पक्षो के मध्य पूर्व से जमीन की कब्जेदारी को लेकर विवाद चला आ रहा है, उक्त प्रकरण को लेकर दोनो पक्षो में आपस में कहासुनी हुई थी, लेकिन अब तक की जांच एवं गांव के लोगों से जानकारी के अनुसार विपक्षीगण के द्वारा नीम के पौधे को कुल्हाड़ी से काटे जाने, तथा न ही आवेदक द्वारा लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है। तथा जमीन सम्बन्धित प्रकरण होने के कारण दोनो पक्षो के विरूद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही की जा चुकी है। थाना हाजा के अभिलेखों के अवलोकन से

Digitally signed by VIKAS GOSWAMI
Date: 2026.04.08 16:14:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त प्रकरण में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

4. प्रस्तुत मामले में क्षेत्राधिकारी बिधूना को जाँच अधिकारी नियुक्त कर प्रारंभिक जाँच आख्या आहूत की गई, जिस पर यह आख्या प्राप्त हुई कि जाँच से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि आवेदक श्री रामऔतार दोहरे पुत्र श्री बनवारीलाल तथा विपक्षीगण 1– श्री करन सिंह शाक्य पुत्र श्री जयलाल सिंह, 2– श्री मिन्टू उर्फ सवितेन्द्र कुमार शाक्य पुत्र श्री करन सिह एक ही गांव ग्राम रायपुर मौजा रावतपुर थाना बिधूना जनपद औरैया के निवासी है। आवेदक की गांव में स्थित भूमि सख्या 193 में करीब 2.5 बीघा भूमि है, आवेदक की इसी भूमि की मेड से लगी हुई भूमि संख्या 172 क में विपक्षी की करीब 01 बीघा भूमि है, जो विपक्षी को वर्ष 1993 में पड़े के आधार पर मिली है जैसा कि विपक्षी द्वारा अपने कधनो में अंकित कराया गया। विपक्षी को जो भूमि पट्टे के आधार पर मिली है वह पूर्व में ऊसर भूमि थी, जिसका उपयोग आवेदक पक्ष द्वारा अपने खेत पर आने जाने के दौरान चकरोड़ के में किया जाता था, परन्तु विपक्षी को उक्त भूमि का पट्टा मिल जाने पर विपक्षी पक्ष द्वारा अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त कर कृषि कार्य किये जाने से आवेदक पक्ष को अपने खेत तक आने आने में परेशानी का समाना करना पढ़ रहा है। आवेदक विपक्षी के खेत से अपने खेत पर आने जाने के लिये चकरोड प्राप्त करना चाहता है जबकि लिखा पढ़ी में मौके पर कोई चकरोड नहीं है। दोनों पक्षो के मध्य भूमि पर कब्जे व खेत तक आने–जाने के लिये चकरोड रास्ते को लेकर पूर्व से ही आपस में विवाद चला आ रहा है। जिसको लेकर आवेदक पक्ष द्वारा विपक्षीपक्ष के विरुद्ध खेत पर खड़े नीम के पेड को कुल्हाड़ी से काट देने और पेड़ काटने से मना करने पर जाति सूचक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप अंकित कर उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना प्रतीत हो रहा है। दोनों पक्षों के मध्य उक्त विवादित भूमि चकरोड व पेड़ काटने के विवाद को दृष्टिगत रखते हुये थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 22.02.2026 को दोनों पक्षों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 126/135/135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही की जा चुकी है दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहन व स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा भी जाँच के मध्य अपने कधनों में नीम का पेड़ पौधा किसने का काटा इसकी कोई जानकारी ना होने के तथ्य अंकित कराये गये हैं। स्वतन्त्र साक्षियों द्वारा अपने कथनों में यह अंकित कराया गया है कि गाँव में यह चर्चा है कि आवेदक विपक्षी के खेत से चकरोड प्राप्त करने के लिये विपक्षीगण को एससी एसटी के मुकदमें में फंसाना चाहता है। इसलिये स्वयं ही नीम के पौधे को काटकर विपक्षी पक्ष पर पेड काटने और जाति सूचक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के झूठे आरोप लगा रहा है। आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में पुष्टिकारक साक्ष्य फोटो, वीडियो, ऑडियो व अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर अबतक कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। मात्र कटे हुये पेड़ छोटे पौधे जिसकी मोटाई करीब 01 इंच फोटो व वीडियो में प्रदर्शित हो रही है उसी के फोटो व वीडियो पेन ड्राइव व फोटोग्राफ के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है जोकि सुलभ अवलोकन हेतु संलग्न जांच है। जिनके अवलोकन व आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये गवाहन द्वारा अंकित कराये गये कथनी आदि से विपक्षीगण पर दिनांक 20.02.2026 को अपने खेत में खड़े नीम के पेड को कुल्हाड़ी से काटने और पेड़ काटने से मना करने पर जाति सूचक गाली पला ज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोपों की अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया पुष्टि नहीं हो रही है।

5. आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि विपक्षी करन सिंह व मिन्टू, जिनका खेत आवेदक के खेत बगल में है। प्रार्थी के खेत में नीम का पौधा था, जिसकी उम्र करीब 03 वर्ष थी, जिसे दिनांक 20.02.2026 को समय करीब 9:30 बजे सुबह विपक्षीगण ने बिना किसी विभाग की परमीशन के कुल्हाड़ी से काट दिया। प्रार्थी ने जब उसी समय देखा मना किया तो विपक्षीगण जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी लेकर मारने को दौड़ पड़े और जाति सूचक गालियों देने लगे कि साले चमरे खेत में पौधा लगायेगा, जिससे मेरी फसल नष्ट हो जायेगी। प्रार्थी को उपरोक्त विपक्षीगणों ने धमकी दी कि साले चमरा मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की तो जान से मार देगें। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, औरैया, थाना

प्रभारी, विधूना, वनाधिकारी, वन विभाग औरैया, राष्ट्रीय एवं राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग तथा जिलाधिकारी औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति व तत्संबंधी डाक रसीद संलग्न की गई है। संबंधित थाना की आख्या तथा क्षेत्राधिकारी विधूना की प्रारंभिक जाँच आख्या के अनुसार, आवेदक की गांव में स्थित भूमि सख्या 193 में करीब 2.5 बीघा भूमि है, आवेदक की इसी भूमि की मेड से लगी हुई भूमि संख्या 172 क में विपक्षी की करीब 01 बीघा भूमि है, जो विपक्षी को वर्ष 1993 में पट्टे के आधार पर मिली है, जैसा कि विपक्षी द्वारा अपने कथनो में अंकित कराया गया। विपक्षी को जो भूमि पट्टे के आधार पर मिली है, वह पूर्व में ऊसर भूमि थी, जिसका उपयोग आवेदक पक्ष द्वारा अपने खेत पर आने जाने के दौरान चकरोड में किया जाता था, परन्तु विपक्षी को उक्त भूमि का पट्टा मिल जाने पर विपक्षी पक्ष द्वारा अपने पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त कर कृषि कार्य किये जाने से आवेदक पक्ष को अपने खेत तक आने आने में परेशानी का समाना करना पड़ रहा है। आवेदक विपक्षी के खेत से अपने खेत पर आने जाने के लिये चकरोड प्राप्त करना चाहता है, जबकि लिखा पढ़ी में मौके पर कोई चकरोड नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य भूमि पर कब्जे व खेत तक आने-जाने के लिये चकरोड रास्ते को लेकर पूर्व से ही आपस में विवाद चला आ रहा है। जिसको लेकर आवेदक पक्ष द्वारा विपक्षीपक्ष के विरुद्ध खेत पर खड़े नीम के पेड को कुल्हाड़ी से काट देने और पेड़ काटने से मना करने पर जाति सूचक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप अंकित कर उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाना प्रतीत हो रहा है। दोनों पक्षों के मध्य उक्त विवादित भूमि चकरोड व पेड़ काटने के विवाद को दृष्टिगत रखते हुये थाना स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 22.02.2026 को दोनों पक्षों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 126/135/135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही की जा चुकी है। आवेदक द्वारा भूमि संबंधी विवाद एवं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध की गई कार्यवाही आदि उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के आधार पर कथित घटना प्रथमदृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होती है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी विधि व्यवस्था **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य ए०आई०आर 2015 एस०सी० 1758** के प्रकरण में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) द.प्र.सं. के निस्तारण में मजिस्ट्रेट की भूमिका को स्पष्ट करते हुए यह निर्देशित किया है कि "It needs to be reiterated that the learned Magistrate has to remain vigilant with regard to the allegations made and the nature of allegations and not to issue directions without proper application of mind. He has also to bear in mind that sending the matter would be conducive to justice and then he may pass the requisite order." पुनः उपरोक्त विधि व्यवस्था की दफा 22 में माननीय न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि "At this stage it is seemly to state power under section 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of the Code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the Magistrate."

7. नरदेव उर्फ टोमी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फौजदारी वाद संख्या 2173/06 परिपत्र संख्या 21/06 दिनांकित 29.05.2006 के वाद में भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा इस आशय का विधिक मत व्यक्त किया गया है कि धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र में मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर तथ्यों की सत्यता की जाँच करनी चाहिए। धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध पंजीकृत कराये जाने का आदेश यांत्रिक रूप से पारित नहीं करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की दो सदस्य पीठ द्वारा **सुखवासी बनाम उ0प्र0 राज्य 2007(6) ए0एल0जे0 पेज 424 (डिवीजन बैंच)** के मामले में यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है, प्रार्थना पत्र खारिज कर सकता है या विवेचना का आदेश भी पारित कर

सकता है और यदि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन असत्य और भ्रामक प्रतीत होते हैं तो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को निरस्त भी कर सकता है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था तथा उपरोक्त प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण से यह तथ्य स्थापित होता है कि प्रारंभिक जाँच आख्या के अनुसार, प्रस्तुत मामले में पक्षकारों के मध्य भूमि के कब्जे व चकरोड निकालने को लेकर पूर्व से विवाद की स्थिति है, जिसमें संबंधित थाना द्वारा पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। आवेदक ने उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य को न्यायालय से छिपाया है, वह स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर कथित घटना की पुष्टि नहीं होती है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) भा०ना०सु०सं० निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक रामऔतार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थना–पत्र संख्या 71/2026, अंतर्गत धारा 173 (4) भा०ना०सु०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार भेजी जाये।

दिनांक 08.04.2026

(विकास गोस्वामी)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, औरैया।
JO Code UP 2393